तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहका इस की मे जा
	अवलोकन किया गया एवं साथ संलग्न नवाब अली के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नवाब अली की दिनांक 01.11.2025 को मृत्यु हो चुकी है जिसकी मृत्यु की तारीख के संबंध में कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नही है। चूंकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने नवाब अली के वारिसान के रूप में महिलाओ को वारिसान बनाए जाने पर आपत्ति जाहिर की इस बाबत उक्त तथ्य हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षो की साक्ष्य पत्रावली पर आने के पश्चात ही तय किया जा सकेगा अतः अधिवक्ता वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 11 नवाब अली के वारिसान के रूप में पत्नि रिहाना को 11/1, पुत्र फिरोज खान, मोहम्मद आसिफ को 11/2 लगायत 11/3 एवं पुत्रियां हीना बानो, दिलशाद व शबनम को क्रमशः 11/4 लगायत 11/6 के रूप में रिकॉर्ड पर लिए जाते है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक/साक्ष्य वादी दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	
27-11-25	अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। नकल दिलाई गई। साक्ष्य वादी हेतु दिनांक-[illegible] [illegible] की [illegible] में [illegible] किया जाता है जिसके वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 4.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश [illegible], जिला डीडवाना-कुचामन	